न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली, जिला – टोंक

(पीठासीन अधिकारी श्री मनोज कुमार मीणा R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

मिशल संख्याः– 191/20 निर्णय दिनांक :– 21.01.2025

उनवानी वादः–

1. हरीराम पुत्र किशनलाल जाति घोसी निवासी देवलीगांव तहसील देवली जिला टोंक राज0
2. पूनीयादेवी पत्नी घीसालाल जाति घोसी निवासी छावनी, तहसील देवली जिला टोंक राज0
3. सुनिता पुत्री घीसालाल जाति घोसी निवासी छावनी, तहसील देवली जिला टोंक राज0

–वादीगण–

बनाम

1. मंजूदेवी पत्नी राजबहादुर जाति रैगर निवाली देवलीगांव तहसील देवली जिला टोंक
2. राजबहादुर पुत्र मोहनलाल जाति रेगर निवासी देवलीगांव तहसील देवली जिला टोंक राज0

–प्रतिवादीगण–

–उपस्थिति –
श्री प्रेमचन्द जैन
अधिवक्ता वादीगण

एकपक्षीय कार्यवाही
विरूद्ध अप्रार्थी संख्या 1 ता 2

दावा बाबत स्थायी निषेधाज्ञा
राज0 टि0 एक्ट की धारा 199, 92–ए–के तहत वादपत्र

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि आराजी खा0न0 4075 रख्या 1.54 है–वाले ग्राम देवली गांव तहसील देवली जिला टॉक में स्थित है जिसमे वादी नं. 1 का 1/2 हिस्सा तथा वादी नं. 2 व 3 का 1/2 हिस्सा है जो मौके पर काबिज है तथा काश्त करते चले आ रहे है । उक्त वर्णित भूमि से वादीगण के अलावा अन्य किसी का प्रतिवादीगण का कोई लेना–देना या सम्बन्ध/सरोकार किसी प्रकार का नही है, ख. नं. 4075 के पूर्वी तरफ सी.आई.एस. एफ ने मेड़ पर काफी समय पहले मिट्टी डालकर पाल बना दी थी, वहां होकर आने–जाने का कोई रास्ता नही था तथा ख. नं. 4075 प्रार्थीगण/वादीगण को खातेदारी व कब्जेकाश्त की है। प्रतिवादीगण जबरन बिना किसी अधिकार के, ताकत के बल पर वादीगण के कब्जे काश्त मे हस्तक्षेप करने, खेत मे मिट्टी खोदने जमीन को नष्ट तखा खुर्द–बुर्द करने मशीनो से मिट्टी डालकर निर्माण कार्य आदि करने पर आमादा है जिसका उनको काई अधिकार प्राप्त नहीं है। बिनायदावा तीन – चार दिन पहले उत्पन्न हुआ प्रतिवादिगण ने बिना किसी अधिकार के वादिगण की उक्त वर्णित भूमि में जबरन मिट्टी खोदने, निर्माण कार्य करने के लिए असफल प्रयास करने तथा मना करने पर झगड़ा करने पर आमादा होने के कारण उत्पन्न हुआ जो लगातार प्राप्त है । भूमि ग्राम देवलीगांव तहसील देवली में स्थित है जिसके सम्बन्ध

21.1.25

में प्रस्तुत वाद को सुनवाई का अधिकार/क्षेत्राधिकार न्यायालय हाजा को प्राप्त है । जा0 टि0 एक्टके प्रावधानों के अन्तर्गत दावा उचित न्याय शुल्क पर अन्दर मियाद प्रस्तुत है। वादीगण की ओर प्रतिवादीगण के विरुद्ध इस न्यायालय मे यह प्रथम वादपत्र है। अतः प्रार्थना है कि दावा बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण बाबत स्थायी निषेधाज्ञा डिक्री किया जाकर डिक्री निम्न प्रकार पारित की जावेः–

अः– प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से हमेशा–हमेशा के लिऐ पाबन्द किया जावे कि वह स्वयं, या अन्य के माध्यम से वादीगण की खातेदारी व कब्जेकाश्त की भूमि ख. नं. 4075 रक्बा 1.54 है0 वाके ग्राम देवलीगांव तहसील देवली जिला टोंक मे किसी प्रकार वादीगण के कब्जे काश्त मे हस्तक्षेप नही करे, भूमि के किसी भू–भाग में मशीनो या अन्य प्रकार ते मिट्टी नही डाले, भूमि को खुर्द–बुर्द तथा निर्माण कार्य आदि नही करे ।

बः– खर्चा मुकदमा दिलवाया जावे ।

सः–अन्य सहायता प्रदान करायी जावे।

प्रतिवादीगण की तलबी जारी की गई।

प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 2 बावजूद तामिल असालतन/वकालतन अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल मे लायी गई ।

पत्रावली बहस में नियत की गई।

अधिवक्ता वादी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यो को ही दोहराया।

पत्रावली का अवलोकन किया। अधिवक्ता वादीगण की बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध जमाबंदी सम्वत 2074–77 के अनुसार वादीगण विवादित आराजी के खातेदार दर्ज रिकॉर्ड होने से वादीगण के हितो व अधिकार का संरक्षण करना न्यायालय का कर्तव्य है तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 2 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई है अर्थात प्रतिवादीगण संख्या 1 तमा 3 को इस प्रार्थना पत्र बाबत कोई आपति नहीं है।

आदेश

अतः वादीगण का वाद स्वीकार किया जाता है। वादीगण राजस्व रिकॉर्ड मे खातेदार काश्तकार की हैसियत रखने के कारण प्रतिवादी को जरिए स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाने का अधिकारी है। अतः प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से हमेशा हमेशा पाबन्द किया जाता है कि आराजी खसरा नम्बर 4075 रकबा 1.54 है0 वाके ग्राम देवलीगांव पटवार हल्का नासिरदा तहसील देवली जिला टोंक राज0 में स्थित भूमि पर किसी प्रकार वादीगण के कब्जे काश्त में हस्तक्षेप नहीं करे, भूमि के किसी भू–भाग में मशीनो या अन्य प्रकार से मिट्टी नहीं डाले तथा भूमि को खुर्द–बुर्द तथा निर्माण कार्य आदि नहीं करे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय सरे इजलास दिनांक 21.01.2025 को सुनाया गया

21.1.25

उपखण्ड अधिकारी
देवली

CamScanner

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ 20 रूल्स 6व 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालत उपखण्ड अधिकारी...
मुकाम देवली व अलजाम श्री दुर्गा प्रसाद मीना आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी देवली टो....................
उनवानी वादः–

1. हरीराम पुत्र किशनलाल जाति घोसी निवासी देवलीगांव तहसील देवली जिला टोंक राज0
2. पूनीयादेवी पत्नी घीसालाल जाति घोसी निवासी छावनी, तहसील देवली जिला टोंक राज0
3. सुनिता पुत्री घीसालाल जाति घोसी निवासी छावनी, तहसील देवली जिला टोंक राज0

—वादीगण—

बनाम

1. मंजूदेवी पत्नी राजबहादुर जाति रैगर निवाली देवलीगांव तहसील देवली जिला टोंक
2. राजबहादुर पुत्र मोहनलाल जाति रेगर निवासी देवलीगांव तहसील देवली जिला टोंक राज0

—प्रतिवादीगण—

दावा बाबत स्थायी निषेधाज्ञा
राज0 टि0 एक्ट की धारा 199, 92—ए—के तहत वादपत्र

मुकदमा नं. 191 सन् 2019

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू..मुझ श्री मनोज कुमार मीणा आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी देवली बहाजरी श्री प्रेमचन्द जैन अधिवक्ता वादीगण मिनजामिन मुद्दई रूबरू एकपक्षीय कार्यवाही विरूद्ध प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 2 मिनजामिन मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है डिक्री दी जाती है कि...

आदेश

वादीगण का वाद स्वीकार किया जाता है। वादीगण राजस्व रिकॉर्ड मे खातेदार काश्तकार की हैसियत रखने के कारण प्रतिवादी को जरिए स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाने का अधिकारी है। अतः प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से हमेशा हमेशा पाबन्द किया जाता है कि आराजी खसरा नम्बर 4075 रकबा 1.54 है0 वाके ग्राम देवलीगांव पटवार हल्का नासिरदा तहसील देवली जिला टोंक राज0 में स्थित भूमि पर किसी प्रकार वादीगण के कब्जे काश्त में हस्तक्षेप नहीं करे, भूमि के किसी भू—भाग में मशीनो या अन्य प्रकार से मिट्टी नहीं डाले तथा भूमि को खुर्द—बुर्द तथा निर्माण कार्य आदि नहीं करे।

निजी..............................मुवलिक..............................बाबत् ....
..............................खर्चा इस मुकदमें का मय सूद वगैरह .... फीसदी सालना आज की तारीख वसूलियाकि तक .... की अदा करें।
बसख्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज तारीख 21 माह 01 सन् 2025 को जारी किया गया।

बदस्तख्त 21.1.25
ओहदा .... उपखण्ड अधिकारी देवली (टोंक)

मुहर